कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

सीएसआर नीति

1. कॉर्पोरेट प्रोफ़ाइल और मुख्य उद्देश्य

1.1 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार का एक उपक्रम है । निगम की स्थापना 13 जनवरी, 1992 को कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) की धारा 25 के तहत लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में किया गया था। निगम का उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार इसकी अधिकृत पूंजी 1500 करोड़ रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 1499.40 करोड़ रुपये है।

1.2 निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

(i) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना;

(ii) आर्थिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडों के अधीन, पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को ऋण और अग्रिम रूप में सहायता करना । माइक्रो फाइनेंस योजनाओं के तहत, कम से कम 75% तक लक्ष्य समूह के सदस्यों वाले स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है। पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के समूहों में ऐसे समूह शामिल होंगे जिनमें मुख्य रूप से (75% और अधिक) सदस्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, बशर्ते अन्य सदस्य कमजोर वर्गों (आय और / या सरकार द्वारा निर्धारित आर्थिक मानदंडों के अनुसार) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और विकलांग व्यक्ति ।

(iii) पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए स्वरोजगार और अन्य उपक्रमों को बढ़ावा देना;

(iv) निगम को भारत सरकार द्वारा दी गई बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से देश में गरीबी रेखा से नीचे के पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए चयनित मामलों में रियायती वित्त प्रदान करना ।

(v) स्नातक और उच्च स्तर पर सामान्य/पेशेवर/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए पिछड़े वर्गों को ऋण देना;

(vi) उत्पादन इकाइयों के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़े वर्गों के तकनीकी और उद्यमशीलता कौशल के उन्नयन में सहायता करना;

(vii) वित्तीय सहायता प्रदान करने और वाणिज्यिक वित्त पोषण प्राप्त करने या पुनर्वित्त के माध्यम से पिछड़े वर्गों के विकास से निपटने वाले राज्य स्तरीय संगठनों की सहायता करना;

(viii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित सभी निगमों/बोर्डों के काम के समन्वय और निगरानी के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करना, जहां तक आर्थिक से संबंधित है कि पिछड़े वर्गों का विकास करना ।

(ix) पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करना।

2. पृष्ठभूमि और प्रस्तावना

2.1 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना के माध्यम से धारा की प्रवर्तनीयता को अधिसूचित किया है। 135 कंपनी अधिनियम (अर्थात सीएसआर के लिए प्रावधान) और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014, दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी है। इसके अलावा डीपीई ने 01.04.2014 से पालन किए जाने वाले सीपीएसई के लिए सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए उसी और बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड ने एक समिति का गठन किया है जिसे "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति" कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक होते हैं।

समिति ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के मामले में कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली नीति की सिफारिश की और इसे 06/05/2016 को आयोजित अपनी 105 बैठक में निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किया गया है।

यह नीति 1 अप्रैल 2014 से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची VII की धारा 135 के तहत जारी अधिसूचना और डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार बनाई गई है। दिनांक 22.01.2021

2.2 एनबीसीएफडीसी मुख्य रूप से सामाजिक उत्थान में शामिल एक निगम है और अपने जनादेश के एक भाग के रूप में सामुदायिक विकास, क्लस्टर विकास आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप इस नीति का उद्देश्य कंपनी द्वारा लोगों/समूहों/समुदाय/समाज के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अंतर्निहित तंत्र के साथ लंबी, मध्यम और छोटी अवधि में

विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारी रणनीतियों को विकसित करना है।

3. नीति वक्तव्य:

सामाजिक नवाचार के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने के लिए और उपयुक्त परियोजनाओं या कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक बेहतर स्थायी जीवन शैली का निर्माण करने के लिए।

4. संक्षिप्त शीर्षक और प्रयोज्यता:

इस नीति को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति-2016 कहा जा सकता है। यह 1.4.2016 से लागू है।

5. सीएसआर उद्देश्य:

5.1 एनबीसीएफडीसी सीएसआर गतिविधियों पर विशेष रूप से उन क्षेत्रों में और आसपास के समुदायों पर ध्यान केंद्रित करेगा जहां अधिसूचित पिछड़े जिले स्थित हैं या जहां ओबीसी क्लस्टर स्थित हैं। एनबीसीएफडीसी इन स्थानीय समुदायों के लिए अपने सीएसआर बजट के 5 महत्वपूर्ण हिस्से को आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.2 एनबीसीएफडीसी समाज के कमजोर, कम विशेषाधिकार प्राप्त और हाशिए के वर्गों को सामाजिक पूंजी बनाने के लिए सशक्त बनाने के लिए सीएसआर गतिविधियों को लागू करेगा।

6. संगठन संरचना:

6.1 सीएसआर नीति को सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंपनी की सीएसआर नीति में शामिल गतिविधियों को कंपनी द्वारा किया जाता है।

6.2 सीएसआर समिति: कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के लागू प्रावधानों के अधीन, सीएसआर समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे। निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, वर्तमान में निगम की सीएसआर समिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशकों का नाम/पदनाम	स्थिति
1.	प्रबंध निदेशक, एनबीसीएफडीसी	सदस्य
2.	संयुक्त सचिव एवं एफए, एसजेई मंत्रालय	सदस्य

3.	महाप्रबंधक, सिडबी	सदस्य
	कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।	

6.3 सीएसआर समिति निदेशक मंडल को सीएसआर नीति तैयार करेगी और सिफारिश करेगी, खर्च किए जाने की सिफारिश करेगी, समय-समय पर सीएसआर नीति की निगरानी करेगी। यह एनबीसीएफडीसी में सीएसआर नीतियों और सभी संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन और निगरानी करेगी । यह कंपनी के सीएसआर एजेंडा को वांछित दिशा में आगे ले जाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करेगी।

6.4 सीएसआर समिति का पुनर्गठन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा सकता है।

6.5 सीएसआर प्रबंधन समिति: सीएसआर प्रबंधन समिति में एनबीसीएफडीसी के प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे, जो कंपनी की सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में सीएसआर समिति की सहायता करेंगे। वर्तमान में, वरिष्ठ महाप्रबंधक (एचआर और सीएसआर), मुख्य प्रबंधक (प्रशासन और आईटी) और प्रबंधक (वित्त) आवश्यकता के अनुसार प्रबंधक (योजना) द्वारा सहायता के लिए सीएसआर प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। सीएसआर प्रबंधन समिति वार्षिक बजट तैयार करने, प्रलेखन और स्क्रीनिंग और प्रतिनिधिमंडल के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता करेगी, कंपनी में सीएसआर पहल के समन्वय की सुविधा प्रदान करेगी और संगठन के भीतर और बाहर पहल करेगी। सीएसआर प्रबंधन समिति प्रगति, कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी और पहल को किसी भी तरह से उचित और आवश्यक समझेगी। सीएसआर प्रबंधन समिति का पुनर्गठन प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से किया जा सकता है।

7. सीएसआर फोकस क्षेत्र परियोजना/कार्यक्रम/गतिविधियां:

7.1 कवर की जाने वाली गतिविधियां और शुरू की जाने वाली परियोजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में समय-समय पर संशोधित की गई गतिविधियां होंगी। अनुसूची VII अनुबंध-I में संलग्न है।

7.2 अन्य परियोजनाओं, कार्यक्रमों/गतिविधियों को लागू कानूनों और सरकारी दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि समय-समय पर निदेशक मंडल के अनुमोदन से संशोधित किया जाता है ।

7.3 बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा अधिसूचित पिछड़े जिलों या जहां अन्य पिछड़ा वर्ग समूह स्थित हैं, के आसपास के समुदायों के लिए खर्च किया जाएगा।

8 बजट:

8.1 सीएसआर गतिविधियों के लिए बजट कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के साथ पठित धारा 135 में कहा गया है कि एक कंपनी चालू वर्ष की अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिशेष) का कम से कम 2% खर्च करेगी।

8.2 सीएसआर व्यय में सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए कोष में योगदान सहित सभी व्यय शामिल होंगे, लेकिन इसमें किसी मद पर कोई भी व्यय शामिल नहीं होगा जो अनुरूप नहीं है या गतिविधियों के अनुरूप नहीं है। अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आते हैं।

8.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत किसी भी राजनीतिक दल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राशि का योगदान, सीएसआर गतिविधि के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसी गतिविधियाँ जो कंपनी के कर्मचारियों या उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए हों, सीएसआर गतिविधियों का हिस्सा नहीं होंगी। हमारे संचालन के हिस्से के रूप में नियमित रूप से की जा रही गतिविधियां भी सीएसआर गतिविधियों का हिस्सा नहीं होंगी।

8.4 सीएसआर क्षमता निर्माण और सीएसआर परियोजना/गतिविधियों आदि की निगरानी/मूल्यांकन पर होने वाले व्यय को सीएसआर बजट से पूरा किया जा सकता है, जैसा कि समय-समय पर जारी सीएसआर सरकार के कानूनों/नियमों/दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी जा सकती है।

8.5 सीएसआर पहल के क्षेत्रों के प्रमुखों के व्यापक विवरण के साथ सीएसआर बजट को बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

8.6 उप-शीर्षों के बीच कोई भी पुनर्विनियोजन प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से सीएसआर समिति को सूचित करते हुए किया जा सकता है, बशर्ते कि वह वर्ष के लिए समग्र सीएसआर बजट के भीतर हो।

8.7 सीएसआर गतिविधि से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष एनबीसीएफडीसी के व्यवसाय अधिशेष/लाभ का हिस्सा नहीं होगा। यदि एनबीसीएफडीसी सीएसआर पर बजट खर्च करने में विफल रहता है, तो उसके कारणों को उसकी वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, अव्ययित राशि को अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा।

9 परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन:

सीएसआर प्रबंधन समिति परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जांच करेगी और इसकी मंजूरी के लिए सीएसआर समिति को सिफारिश करेगी और मोटे तौर पर निम्नलिखित का पालन करेगी:

क) परियोजना का मूल्यांकन विशेष रूप से लागत अनुमान, वित्त पोषण व्यवस्था और लक्षित आबादी और क्षेत्रों पर इसका प्रभाव।

ख) प्रत्येक चरण के लिए समय चार्ट / परियोजना कार्यक्रम और वित्त पोषण की आवश्यकताएं।

ग) भुगतान की शर्तें और भौतिक प्रगति और अन्य पार्टियों से शेयर का योगदान, यदि कोई हो, के साथ इसके संबंध।

घ) आशय पत्र की शर्तों को अंतिम रूप देना।

च) मसौदा समझौता ज्ञापन, यदि आवश्यक हो, विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए, कार्यान्वयन एजेंसी / संगठन के साथ एजेंसी, एनबीसीएफडीसी और किसी अन्य पार्टी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण।

10 सक्षम प्राधिकारी: व्यक्तिगत प्रस्ताव के मूल्यांकन और उपयुक्तता के बाद, सीएसआर प्रबंधन समिति की सिफारिश को नीचे दिए गए अनुसार लेने, निष्पादन, संवितरण आदि के लिए अनुमोदन के लिए अग्रेषित किया जाएगा: -

क) 20 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत मूल्यों का प्रस्ताव बीओडी द्वारा अनुमोदित सीएसआर बजट मदों के अंतर्गत प्रबंध निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ख) 20.00 लाख रुपये से अधिक और 40.00 लाख रुपये तक के सभी प्रस्तावों के लिए बीओडी अनुमोदित सीएसआर बजट शीर्षों के लिए सीएसआर समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ग) 40.00 लाख रुपये से अधिक के सभी प्रस्तावों और जो अनुमोदित सीएसआर बजट शीर्षों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें बीओडी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

11 कार्यान्वयन और निष्पादन एजेंसी/साझेदार :

क) सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी कंपनियों, पंचायतों, ट्रस्टों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों, पेशेवर परामर्श संगठनों, स्कोप, इन एजेंसियों के चल रहे कार्यक्रमों में शामिल होने आदि के साथ उपयुक्त भागीदारी के माध्यम से हो सकता है। यथासंभव एनबीसीएफडीसी की जनशक्ति केवल निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रतिबद्ध होनी चाहिए।

ख) सीएसआर प्रबंधन समिति परियोजनाओं की पहचान करेगी और इसके अनुमोदन के बाद, इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था करेगी और कंपनी में सीएसआर गतिविधियों की निगरानी करेगी। यह नियमित रूप से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति, कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और किसी भी तरह से पहल का मार्गदर्शन करेगा जो वह तय कर सकता है।

ग) परियोजना की पहचान करते समय, बाहरी एजेंसी जो इसे निष्पादित करेगी, की पहचान की जाएगी। गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा परियोजना निष्पादन के मामले में, निम्नलिखित न्यूनतम मानदंड सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:

i) इसका भारत में कार्यालय/पता होना चाहिए ।

(ii) यह संबंधित क़ानून के तहत एक पंजीकृत इकाई है।

iii) इसके पास पैन नंबर है।

iv) इसके पूर्ववृत्त सत्यापन योग्य/पुष्टि के अधीन हैं। संगठन को पहली मंजूरी देने से पहले सीएसआर प्रबंधन समिति द्वारा नामित और प्रबंध निदेशक, एनबीसीएफडीसी द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति / निकाय द्वारा निरीक्षण आवश्यक है।

v) इसने समान परियोजना को क्रियान्वित करने में कम से कम तीन वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड का दस्तावेजीकरण किया है।

vi) पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखे उपलब्ध हैं।

12 परियोजना निगरानी, मूल्यांकन और सीएसआर रिपोर्टिंग:

12.1 सामान्य तौर पर कार्यान्वयन के तहत सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित लागू होंगे।

(i) सीएसआर समिति के अध्यक्ष सीएसआर गतिविधियों की प्रगति से निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर अनुबंध-II में प्रारूप के अनुसार अवगत कराएंगे।
(ii) सीएसआर प्रबंधन समिति परियोजना/कार्यक्रम के निष्पादन और प्रगति की निगरानी करेगी और सीएसआर समिति को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
(iii) कार्यान्वयन एजेंसी/संगठन स्वीकृति पत्र के अनुसार परियोजना के वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
(iv) एनबीसीएफडीसी सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और मंजूरी/एमओयू की शर्तों के अनुसार इसके कार्यान्वयन के लिए एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति पर विचार कर सकता है।
(v) एनबीसीएफडीसी/कार्यान्वयन एजेंसियों की सीएसआर परियोजनाएं एनबीसीएफडीसी/बाहरी एजेंसियों द्वारा जांच और नमूना जांच लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जैसा कि सीएसआर प्रबंधन समिति द्वारा प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से निर्णय लिया जा सकता है।
vi) सीएसआर प्रबंधन समिति आशय पत्र/एमओयू की शर्तों के अनुसार भुगतान के लिए सिफारिश करेगी।
vii) सीएसआर प्रबंधन समिति सहमत समय अनुसूची के अनुसार कार्य की प्रगति का समन्वय और रिकॉर्ड करेगी।
viii) एनबीसीएफडीसी और कार्यान्वयन एजेंसी संयुक्त रूप से परियोजना निष्पादन के लिए एक समय सारिणी तैयार करेंगे।
ix) सीएसआर प्रबंधन समिति की सिफारिश पर एनबीसीएफडीसी द्वारा उपयुक्त किश्तों में वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य शुरू करने के लिए पहली किस्त जारी होने के बाद, आगे की राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी द्वारा प्रस्तुत कार्य/उपयोग प्रमाण पत्र (जीएफआर के अनुसार) की प्रगति के आधार पर किया जाएगा। अंतिम किश्त एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के आय और व्यय के लेखा परीक्षित विवरण की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
x) सीएसआर प्रबंधन समिति, जहां भी आवश्यक हो और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से, अपने स्वयं के/एनबीसीएफडीसी कर्मचारियों पर या एक स्वतंत्र पेशेवर तीसरे पक्ष/पेशेवर संस्थानों के माध्यम से या निष्पादन एजेंसी के माध्यम से इस तरह से प्रमुख परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की व्यवस्था कर सकती है, जो ठीक लग सकता है।

12.2 वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर रिपोर्टिंग:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1),(2) और 469 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी सीएसआर पहलों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट में निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II में संलग्न) में रिपोर्ट करेगी। .

13 सामान्य:

सीएसआर नीति के किसी प्रावधान के संबंध में और इसमें शामिल नहीं किए गए मामलों के संबंध में किसी भी संदेह के मामले में, सीएसआर समिति की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी सीएसआर समिति की सिफारिश और एनबीसीएफडीसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीएसआर नीति में निहित किसी भी प्रावधान को संशोधित करने, रद्द करने, विषम/या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/गतिविधियां:

एक कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधि के रूप में जो गतिविधियां कर सकती है, वह कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्धारित की गई है जिसे अधिसूचित किया गया है और इसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

i. भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन: निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना;

ii. विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग-अलग विकलांगों और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना;

iii. लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय;

iv. पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना।

v. इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और कला के कार्यों की बहाली सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास ।

vi. सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय;

vii. ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

viii. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए सरकार;

ix. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया योगदान या निधि;

एक्स ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

xi. स्लम क्षेत्र का विकास

व्याख्या- इस मद के प्रयोजन के लिए 'स्लम एरिया' शब्द का अर्थ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस समय लागू किसी कानून के तहत घोषित किया गया कोई भी क्षेत्र होगा।

[आइटम नंबर (xi) और आइटम नंबर (i) और (iv) के तहत इटैलिक में वाक्यांशों को अनुसूची VII दिनांक 27.02.2016 पर राजपत्र अधिसूचना के बाद संशोधनों के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची VII में डाला गया है] और कंपनियां (कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 दिनांक 22.01.2021

भारत सरकार के उद्देश्य के लिए डीपीई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अधीन।

अनुलग्नक - II

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप:

(बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा भी)

1. कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

2. सीएसआर समिति की संरचना।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के अनुसार राशि का दो प्रतिशत)

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण।

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि

ख) अव्ययित राशि, यदि कोई हो;

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	**सीएसआर परियोजना या पहचान की गई गतिविधियां**	**क्षेत्र जिसमे परियोजना आच्छादित है**	**परियोजनाएं या कार्यक्रम 1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम शुरू किए गए थे ।**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार**	**परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशिः 1)परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2)उपरिव्यय**	**रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय**	**राशि खर्च; प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
1							
2							
3							
	योग						

*कार्यान्वयन एजेंसी का विवरण दें ।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण बताएगी।

7. सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व वक्तव्य कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

ह./- **(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)**	**ह./-** **(सदस्य, सीएसआर समिति)**